मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग
220, अरेरा हिल्स, राजस्व राहत भवन, भोपाल, 462011
दूरभाष– 0755–2550501, 2550502

क्रमांक एफ.134 /रा.भू.सु.आयोग/2021/1244 दिनांक 8.6.2021

परामर्शी (नगरीय निकाय विधि) के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण

विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की समग्र समीक्षा कर दोनों अधिनियमों को एकीकृत कर उनके स्थान पर एक अधिनियम बनाए जाने हेतु विधेयक का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य हेतु आयोग को नगरीय निकाय संबंधी विधि का समुचित ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले एक परामर्शी की आवश्यकता है। इस पद की अर्हताएं, परिलब्धियां व अन्य शर्ते निम्मनानुसार हैः–

1. **परामर्शी (नगरीय निकाय विधि)** (1 पद) समेकित मासिक उपलब्धियाँ रू. 50,000/–। नगरीय प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव एवं उपरोक्त कानूनों का अच्छा ज्ञान रखता हो और नीति अनुसंधान का संचालन करने में समर्थ हो। वह राज्य शासन के न्यूनतम उपसचिव/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। विधि में स्नातक उपाधि, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्षता, विधि निर्माण/अनुसंधान कार्य का अनुभव तथा नीति विश्लेषण कार्य का अनुभव वांछनीय होगा।

2/– उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के समय अधिकतम आयुसीमा 63 वर्ष (दिनांक 01 जुलाई, 2021 की स्थिति में) है। नियुक्ति संविदा आधार पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी जो आवश्यकतानुसार बढाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

3/– इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र आयोग के सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए सादे कागज पर अपना विस्तृत बायोडाटा और सुसंगत दस्तावेज/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करते हुए डाक से अथवा समक्ष में इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की **अतिंम तिथि 25 जून, 2021** है। कृपया लिफाफे पर ''सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग, 220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल पिनकोड 462011'' तथा ''परामर्शी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र'' लिखें।

4/– आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार प्राप्त आवेदनों को छाँटकर एक संक्षिप्त सूची तैयार कर केवल सूची में सम्मिलित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।

8/6/2021
(अशोक कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग

(यह विज्ञापन मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग की वेबसाइट www. http://lrc.mp.gov.in राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www. revenue.mp.gov.in एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www. prc.mp.gov.in पर भी देखा जा सकता है)